न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2018 / 00346 / 225

1. चतुर्भुज पुत्र छोगा,
2. सत्यनारायण पुत्र छोगा,
3. रामधन पुत्र छोगा,

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम कादेड़ा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र सूजा, जाति माली, निवासी ग्राम कादेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

असल रेस्पोडेंट

2. कैलाश पुत्र भूरा,
3. छाऊ पत्नि छोगा,
4. सरजू पुत्री छोगा,
5. लादी पुत्री छोगा,
6. गंगा पुत्री छोगा,
7. मनभर पुत्री छोगा,
8. मानी पुत्री छोगा,
9. बरजी पुत्री छोगा,

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम कादेड़ा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 22.6.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 147 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राघवेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 9.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 10.

निर्णय

दिनांकः— 20.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 22.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 / प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—राज0काश्त0अधि0 के तहत इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 1894 जाने के लिए खसरा नंबर 1888, 1888 / 3543 एवं खसरा नंबर 1889 में से 20 फुट रास्ता दिलाया जावे । अधी0न्याया0 ने

अपने आदेश दिनांक 22.6.2018 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने खसरा नंबर 1894 में आने जाने के लिए रास्ते की मांग की है किन्तु खसरा नंबर 1894 के विभिन्न खातेदार है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आवश्यक पक्षकारों के अभाव में संधारण योग्य नहीं था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली जवाब में नियत थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना पत्रावली को कैम्प कोर्ट में नियत कर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी भूमि में जाने के लिए अपीलांटस की भूमि खसरा नंबर 1888, 1888/3543 में से कभी रास्ता नहीं रहा है एवं न ही विपक्षी ने किसी दस्तावेज से यह साबित किया है कि अपीलांट की भूमि में से आते जाते रहे है । रेस्पो0 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1894 में जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही मौजूद है जिससे रेस्पो0 संख्या 1 अपनी आराजी में आवगमन करता रहा है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पर वैकल्पिक रास्ता पूर्व से मौजूद हो वहां नया रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने खसरा नंबर 1888 एवं 1888/3543 के समस्त खातेदारों एवं इन खसरा नंबरान के पड़ौस के खसरा नंबर 1889 एवं अन्य खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकासर कायम नहीं किया है । खसरा नंबर 1884 जो कि राजकीय भूमि है में से भी बिना किसी आधार पर रास्ता स्वीकृत कर दिया गया जो विधिविरूद्ध है । रेस्पो0 संख्या 1 खसरा नंबर 1884 जो कि राजकीय भूमि है पर कब्जा करने की नियत से खसरा नंबर 1884 में से होते हुए अपीलांटस की खातेदारी में रास्ता चाहता है जो दुर्भावनापूर्वक मांग की गई है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर विधिविरूद्ध रास्ते संबंधी आदेश पारित किये है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली को कैम्प कोर्ट में अपीलांट को बिना सूचित किये रखकर प्रकरण को अपीलांट के पीठ पीछे निर्णित किया है जिससे अपीलाधीन आदेश की अपीलांटस को समय पर जानकारी नही हो सकी थी । ऐसे निर्णयों को चुनौती देने की कानूनन कोई समयावधि नहीं है । दिनांक 23.10.2018 को आक्षेपित निर्णय की नकल हेतु प्रार्थीगण ने आवेदन किया तत्पश्चात् नकल प्राप्त होने पर अपीलांटस ने फीस की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जावे।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 खसरा नंबर 1894 रकबा 0.26 है0 का संयुक्त खातेदार है । प्रार्थी अपनी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 1888, 1888/3543 में से होकर आता–जाता रहा है । प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1894 में आवागमन इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने से अधी0न्याया0 ने रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका रिपोर्ट तलब की है जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 खसरा नंबर 1884 सिवायचक एवं अपीलांटस की आराजियात खसरा नंबर 1888, 1888/3543 में से होकर आता जाता रहा है तथा रेस्पो0 संख्या 1 के पास उसकी आराजी में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है । अधी0न्याया0 ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 का पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 खसरा नंबर 1894 रकबा 0.26 है0 का संयुक्त खातेदार है । प्रार्थी अपनी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 1888, 1888/3543 में से होकर आता–जाता रहा है । प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1894 में आवागमन इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार रास्ते के आदेश पारित किये जावे । उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से विवादित भूमि के संबंध में जांच रिपोर्ट तलब की जिस पर नायब तहसीलदार, कादेड़ा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक कादेड़ा ने मौका निरीक्षण कर अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि '' प्रार्थी ने खसरा नंबर 1894 में जाने हेतु खसरा नंबर 1888, 1888/3543 व 1889 में से रास्ता चाहा है । खसरा नंबर 1888 के लगायत खसरा नंबर 1884 है जो सिवायचक भूमि होकर उक्त सिवायचक भूमि पर रास्ता बना हुआ है जिससे आवागमन करते है तथा सिवायचक भूमि एवं वादी के खेत के मध्य खसरा नंबर 1888, 1888/3543 आते है । उक्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी खेत में जाने हेतु नहीं है ।'' उक्त जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 1884 में आवागमन हेतु रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं है तथा रेस्पो0 संख्या 1 पूर्व से ही इन आरायिजात से आवागमन करता रहा है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में प्रावधान है कि '' नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने के लिये दो चीजें आवश्यक है–आत्यन्तिक आवश्यकता होनी चाहिये ना कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिए विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वेकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिये । '' हस्तगत

प्रकरण में नायब तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है । अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी में आवागमन हेतु पूर्व से कोई वैकल्पिक रास्ता है । अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के उक्त प्रावधान को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश द्वारा प्राथी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.6.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर